निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**15 श्रावण 1940 (श0)**

**(सं0 पटना 752) पटना, सोमवार, 6 अगस्त 2018**

**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

**5 अप्रील 2018**

**सं० 22/नि0सि0(मुज0)–06–06/2016–867**––श्री ओम प्रकाश अम्बरकर (आई0डी0 सं0–3467) तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, गंडक काडा, मुजफ्फरपुर के उनके उक्त पद पर पदस्थापन अवधि के दौरान श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक (सेवानिवृत) गंडक काडा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में नियम विरूद्ध ढ़ग से कार्रवाई कर श्री वर्मा को संरक्षण देने तथा मामले में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अभिरूची नहीं लेने जाने के आरोपों से संबंधित आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त पत्र की सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1248, दिनांक 01.07.2016 द्वारा श्री अम्बरकर से स्पष्टीकरण पूछा गया।

उक्त के आलोक में श्री अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक, काडा मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक–576/5488/16 दिनांक 08.08.16 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैं :–

(1) श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक, गंडक काडा, मुजफ्फरपुर मेरे पदस्थापन के पूर्व से ही आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आवासीय कार्यालय पर निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे उनके कार्यरत अवधि में बिल सरकारी आदेश के अनधिकृत रूप से पेड़ के की गयी कटाई के मामले में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध काजी मुहम्मदपुर थाना, मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी (थाना कांड सं०–477/14) दर्ज कराने के पश्चात आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–570, दिनांक 31.01.2015 द्वारा श्री वर्मा की सेवा वापस करते हुए परामर्श दिया गया कि आयुक्त के सरकारी आवास परिसर से अनधिकृत रूप से पेड़ो की कटाई में श्री वर्मा की संलिप्तता होने पर श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाय।

(2) आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त पत्र के आलोक में श्री वर्मा के विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसमें श्री मुन्नीलाल रजक, अधीक्षण अभियंता–1, गंडक काडा, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन अपने पत्रांक–903, दिनांक 29.07.2015 द्वारा समर्पित किया गया।

(3) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार उचित निर्णय लेने हेतु काडा के अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र झा–3, माननीय उच्च न्यायालय, पटना से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में मेरे कार्यालय आदेश सं०–1049, दिनांक 10.09.2015 द्वारा लिये गये निर्णय का संसूचन आयुक्त के सचिव को की गयी।

(4) आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–6828, दिनांक 26.09.2015 द्वारा कारण पृच्छा करते हुए निदेशित किया गया कि विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक मुकदमा दोनों अलग–अलग है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही को अपराधिक मुकदमा के कारण रोकने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें अविलंब सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र विधिवत रूप से गठित होना चाहिए। उसमें मात्र FIR को ही Verbation उतारने या मात्र उसी के आधार पर प्रपत्र 'क' गठित करना सुमूल है। उक्त पत्र के आलोक में मेरे द्वारा सभी वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए संसूचित किया गया कि मेरे द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध सभी आवश्यक कार्रवाई नियम संगत की गयी है। फिर भी इसमें मेरी क्या संलिप्तता है। कृपया स्पष्ट किया जाय। किन्तु आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा बिना स्थिति स्पष्ट करते हुए विमर्श करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी। मेरे द्वारा निर्धारित तिथि को आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय प्रकोष्ट में उपस्थित होकर विमर्श भी किया गया। लेकिन उनके द्वारा इस मामले पर विमर्श के पश्चात किसी प्रकार के अपने परामर्श/निदेश से अवगत नहीं कराया गया। इसी कारण मेरे द्वारा कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गयी। जहाँ तक श्री वर्मा को सेवांत लाभ देने का प्रश्न है मेरे द्वारा श्री वर्मा को कोई सेवांत लाभ का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गंडक काडा, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–2204, दिनांक 04.10.2016 द्वारा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की मांग की गयी। जिसके आलोक में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में अपने पत्रांक–5482, दिनांक 06.12.2016 द्वारा अपना मंतव्य विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें निम्न बातें कही गयी हैं :–

श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गंडक काडा, मुजफ्फरपुर के स्पष्टीकरण तथा पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1992, दिनांक 06.05.2016 द्वारा सूचित की गयी स्थितियों की समीक्षा के आलोक में कहना है कि प्रस्तुत मामले में श्री अम्बरकर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मूल रूप से अपनी कार्यवाही को विधि परामर्श के आधार पर किये जाने के कारणों से उचित बताया गया है। परंतु प्रस्तुत मामले में विधि परामर्श यह था कि जब आपराधिक मुकदमा/विभागीय कार्यवाही की जा रही है तो विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती है एवं यह विधि परामर्श स्पष्ट रूप से स्थापित वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल था। फिर भी श्री अम्बरकर द्वारा इस विधि परामर्श पर अपना विवेकपूर्ण निर्णय न लेकर आँख मूंदकर उस परामर्श को मान लिया गया जो न सिर्फ उनके Non-application of mind का द्योतक है बल्कि इससे यह प्रतीत होता है यह विधि परामर्श procured था तथा इस मामले में भी श्री अम्बरकर की भी संलिप्तता थी।

श्री अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक काडा, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये हैं :–

श्री अम्बरकर के स्पष्टीकरण के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक के विरूद्ध आयुक्त के अवासीय परिसर से अवैध रूप से पेड़ो की कटाई के मामले में प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस मामले में संचालन पदाधिकारी सह–अधीक्षण अभियंता–1, गंडक काडा, मुजफ्फरपुर द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें आरोप के संदर्भ में किसी प्रकार के मंतव्य का गठन नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि आयुक्त के आवासीय कार्यालय परिसर से पेड़ो की कटाई के आरोप में श्री वर्मा के विरूद्ध मुहेम्मदपुर थाना कांड सं०–477/2014 पंजीकृत कराया गया है। इस बाढ़ में श्री वर्मा माननीय उच्च न्यायालय, पटना से अग्रीम जमानत प्राप्त करने के पश्चात व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर से स्थायी जमानत प्राप्त कर चुके हैं। यह मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय पर अग्रेतर कार्रवाई करना उचित होगा। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री वर्मा के सभी सेवांत लाभों का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक की प्रतिनियुक्ति आयुक्त आवासीय कार्यालय में की गयी थी। आयुक्त के आवासीय परिसर से अवैध रूप से पेड़ो की कटाई की गयी। जिसमें जाँचोपरांत श्री वर्मा के संलिप्तता होने का मामला प्रकाश में आया। फलस्वरूप श्री वर्मा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी एवं आयुक्त के द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक काडा को निदेशित किया गया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। किंतु इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी में यह कहते हुए किसी प्रकार का मंतव्य गठित नहीं किया गया कि यह मामला माननीय न्यायालय के यहाँ विचाराधीन है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प ज्ञापांक–3/M0162/05 का0–2324 दिनांक 10.07.2007 में निदेशित किया गया है कि आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवक के मामले में आपराधिक

कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ किया जाय। सम्पूर्ण मामले में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा दिये गये निदेश की अनदेखी की गयी है। यदि संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिमत गठित किये बगैर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था तो श्री अम्बरकर तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक काडा को चाहिए था कि वे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के इस संकल्प की ओर संचालन पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए जाँच प्रतिवेदन वापस कर देते, किन्तु श्री अम्बरकर द्वारा ऐसा नहीं किया गया। नतीजतन आरोपी श्री वर्मा के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी और वे सभी सेवांत लाभों को प्राप्त करने में भी सफल रहे। इस पूरे प्रकरण में श्री अम्बरकर की भूमिका आरोपित पदाधिकारी श्री वर्मा को बचाने की है। जिसके लिए श्री अम्बरकर दोषी हैं।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गंडक काडा, मुजफ्फरपुर को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक सं०–823, दिनांक 01.06.2017 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"

**(1)** उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री अम्बरकर मुख्य अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–433, दिनांक 18.11.2017 द्वारा पूर्णाविलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कहीं गयी है :–

(i) आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर कार्यालय के अनुसार अगर श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, प्रथम दृष्टया दोषी थे तो नियमानुसार उक्त स्पष्टीकरण पर उनके स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

(ii) आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–570, दिनांक 31.01.15 के आलोक में मेरे द्वारा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही श्री वर्मा के विरूद्ध चलाई गई।

(iii) विभागीय कार्यवाही के फलाफल से आयुक्त कार्यालय को ससमय अवगत कराया गया। मेरे द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के संबंध में आयुक्त कार्यालय के पत्रांक–6828 दिनांक 26.09.15 द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की बात कही गयी।

(iv) उक्त पत्र के क्रम में सभी आवश्यक कार्रवाई नियम संगत किये जाने की बात का उल्लेख करते हुए अपनी संलिप्तता के बारे में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्रांक–1191, दिनांक 13.10.2015 द्वारा लिखा गया, परन्तु इस संदर्भ में कोई मार्गदर्शन अथवा भिन्न कार्रवाई करने की सूचना आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर से नहीं मिली।

इसी संदर्भ में आयुक्त कार्यालय से प्राप्त निदेश के आलोक में विमर्श हेतु उपस्थित हुआ, परन्तु मामले पर विमर्श के पश्चात किसी प्रकार के परामर्श/निर्देश से अवगत नहीं कराया गया। परन्तु बाद में विभागीय स्तर पर मामले की समीक्षा के दौरान विभागीय पत्रांक 2204, दिनांक 04.10.16 के आलोक में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक–5482, दिनांक 06.12.16 द्वारा अपना मंतव्य विभाग में समर्पित किया गया।

(v) अपने मंतव्य में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल द्वारा उक्त मामले में स्वेच्छापूर्वक मेरी संलिप्तता होने का मंतव्य दिया गया जबकि इससे मेरा कोई संलिप्तता का कोई मतलब नहीं है और जो की तथ्य आधारित नहीं है।

(vi) साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2324, दिनांक 10.07.2007 में निहित प्रावधान की अनदेखी किये जाने के आधार पर मेरे विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है।

**उक्त आदेश के आलोक में निम्न तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।**

(1) (i) श्री राजेश्वरनाथ वर्मा, आशुटंकक के आयुक्त में आवासीय परिसर में पेड़ो की कटाई के लिए दोषी मानते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया गया।

(ii) कटे पेड़ से आवासीय परिसर बाहर चले जाने के बाद उसकी जिम्मेवारी वन विभाग की होती थी। इसलिए इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए वन विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं।

(iii) चुँकी पेड़ों की कटाई स्थानातरित आयुक्त महोदय के मौखिक आदेश पर हुआ था। अतएव यह स्थापित किया जाना कठिन है कि श्री वर्मा के द्वारा पेड़ों की कटाई कराई गई।

(iv) यद्यपि श्री वर्मा को इसके लिए दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जो उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं होता है। तब तक इन्हें थाना कांड सं०–477/2014 में दोषी माना जाना उचित नहीं है। जो कि एक स्थापित वैधानिक प्रावधान है तथा इस आशय का परामर्श क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, गंड़क, मुजफ्फरपुर के स्तर पर काडा के सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी दिया गया है।

(v) इस मामले में इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह प्रमाणित करे कि श्री वर्मा दोषी हैं।

(vi) चूँकि मेरे विरूद्ध पारित दण्डादेश का यह प्रमुख मामला है। इसलिए श्री वर्मा के दोषी/निर्दोष होने की भी समीक्षा होना चाहिए जो इस मामले में नहीं की गई है और मुझे ही दोषी मानकर दंडित कर दिया गया।

(2) मेरे द्वारा विभागीय कार्यवाही के फलाफल से आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अवगत कराया गया, परन्तु उनके द्वारा केवल सुधारात्मक कार्रवाई का मंतव्य दिया गया। उक्त मंतव्य पर मार्गदर्शन माँगे जाने तथा विमर्श के दौरान कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जाना एवं बाद में विभागीय पत्रांक–2204, दिनांक 04.10.16 के द्वारा मेरे स्पष्टीकरण पर उनका मंतव्य मांगे जाने के क्रम में मेरी संलिप्तता का प्रतिवेदन दिया जाना विरोधाभाष उत्पन्न करता है। जिसकी समीक्षा होनी चाहिए। यह स्थापित तथ्य है कि तत्कालीन आयुक्त महोदय के मौखिक आदेश पर पेड़ों की कटाई हुई, प्रमाण स्वरूप श्री राजेश्वर नाथ वर्मा का पूर्व में समर्पित पत्र को देखा जा सकता है।

(i) यह भी समीक्षा का विषय है क्योंकि जब संलिप्तता के संदर्भ में मेरे द्वारा पत्रांक–1191, दिनांक 13.10.15 से आयुक्त कार्यालय से पूछा गया तो उनके द्वारा कोई मार्गदर्शन/निर्देश नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति मुझे दोषी मानकर दंडित करना उचित प्रतीत नहीं लगता है।

(ii) उक्त के आलोक में संबंधित पूर्व स्थानांतरित आयुक्त से मंतव्य प्राप्त नहीं किया जाना तथा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा मेरे विरूद्ध दिये गये मंतव्य पर मुझे अपनी बात को रखने का उचित अवसर विभाग द्वारा नहीं दिया जाना भी Natural Justice अनुरूप नहीं है। साथ ही यह भी विचारणीय तथ्य है कि आयुक्त महोदय के मंतव्य पर विभाग द्वारा मेरे विरूद्ध एकतरफा निर्णय लेते हुए दण्डादेश पारित किया गया जो कि उचित प्रतीत नहीं लगता है।

(3) विभागीय कार्यवाही का संचालन मेरे द्वारा नियमानुसार किया गया है। फिर भी यदि आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को ऐसा लगा कि मेरे द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही एवं उसके फलाफल आदेश त्रुटिपूर्ण है या उनके मनोकूल नहीं है तो उनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग–VIII बिन्दु 28 के आलोक में मेरे द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में पारित आदेश का पुनरीक्षण/समीक्षा कर श्री वर्मा के विरूद्ध अन्य अथवा भिन्न दण्डादेश पारित किया जा सकता था। परन्तु उनके स्तर से ऐसा नहीं किया गया और ना ही विमर्श के दौरान निर्देशित किया गया।

**श्री अम्बरकर, मुख्य अभियंता से प्राप्त पुर्णविलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :–**

क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गंडक काडा के रूप में श्री अम्बरकर, मुख्य अभियंता का मुख्य दायित्व प्रपत्र–'क' में वर्णित आरोपों को प्रमाणित होने अथवा प्रमाणित नहीं होने के संबंध में स्पष्ट मंतव्य अभिलेखित करना था। आयुक्त के आवासीय कार्यालय परिसर से काटे गये पेड़ो के संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी थी। काटे गये पेड़ो के संबंध में स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी थी। काटे गये पेड़ों के संबंध में अपराधिक बिन्दु पर जाँच करना पुलिस का काम है। श्री अम्बरकर का दायित्व मात्र उतना था कि श्री राजेश्वर नाथ वर्मा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप प्रमाणित होते हैं अथवा नहीं। इस मामले को न्यायालय में लंबित रहने के आधार पर बगैर कोई अभिमत गठित किये हुए विभागीय कार्यवाही को तार्किक परिणति पर नहीं पहुँचाना श्री अम्बरकर की लापरवाही मानी जायेगी। कई मामलों में निर्णय हुआ है कि अपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही साथ–साथ चलायी जा सकती है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्री अम्बरकर इस विभागीय कार्यवाही में अपना मंतव्य अभिलेखित करने के लिए सक्षम थे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। फलस्वरूप आरोपित पदाधिकारी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचा। श्री अम्बरकर द्वारा जो पूर्ण विचार अभ्यावेदन दिया गया। उसमें आयुक्त के कार्यालय से पेड़ो के कटाई किये जाने के घटनाक्रम का उल्लेख है। क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गंडक काडा, मुजफ्फरपुर के रूप में किस कारण से स्पष्ट अभिमत का गठन नहीं किया गया। इसका उल्लेख पूर्णविचार अभ्यावेदन में नहीं है। इसलिए श्री अम्बरकर का पुनर्विचार अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। इसी बीच वरीय लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र जिसमें कहा गया है कि चूँकि श्री अम्बरकर को एक अन्य मामले में दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित है। जिसके कारण वर्तमान दण्डादेश लागु करने में व्यवहारिक कठिनाई है। वर्तमान निर्गत दण्डादेश के द्वारा श्री अम्बरकर को तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया गया है। जबकि इसके पूर्व निर्गत दण्डादेश के कारण श्री अम्बरकर की जुलाई 2017 एवं जुलाई 2018 की वेतनवृद्धि पर पूर्व से ही रोक है। इसलिए वर्तमान दण्डादेश के आलोक में जुलाई 2019 एवं जुलाई 2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि ही रोकी जा सकती है। तीसरा वेतन वृद्धि रोकना संभव नहीं है क्योंकि श्री अम्बरकर दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत हो रहे हैं।

समीक्षोपरांत श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गंडक काडा, मुजफ्फरपुर को पूर्व में अधिरोपित 3 (तीन) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शाश्ति में संशोधन करते हुए 2(दो) वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

**"दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"**

उक्त निर्णय के आलोक में श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गंडक काडा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

**"दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह,**
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण)** 752-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**